

अपील

मुकाम

श्रीया राम वनाम श्रीया राम वर्मा

किसम मकदमा 1/1759 अ/वेदन नं. 10 सन् 2017

संख्या

हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज

संख्या व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

11/1/17

पक्ष/अपीलांट के वकील श्री. कुंजराज सिंह चौधरी
ने इस पत्र/वादा/अपील धारा 111, 128 R.R.A.C.
राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।
जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन
तलब हाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/2/17 को पेश हो।

22
17/1/17

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु

17/02/17

प्राथी पक्षील उपलिखत। विप्राथीगिनो उ नोटिस
लामिल खुडा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किमा गया।
सीमान पीगामीन अधिकाारी रिज्गर डायरी में बराम्त
द्वेने ले मिलात इल्फावा होडर आगामी रिगोड 27/04/17
में पेश हो।

27/04/17

प्राथी पक्षील उपलिखत। विप्राथीगिनो वाकनुड लामिल
मनु उपलिखत। प्राथी पक्षील द्वारा प्राथी उ प्यालेडारी खेले
के मुक में उरफाने गये सीमाज्ञान ही सीमाज्ञान रिपोर्ट
पेशा ही गई, जिसे शामिल पत्रावली किमा गया। प्राथी के
अधिकार ही एडप मीय बरहस हुनी गई, प्राथी पक्षील ने
कताया ही प्राथी को अपने प्यालेडारी खेले के चारों तरफ
पक्के नेथम स्थापित करवाने कावश्यु है। इललिह प्राथी
द्वारा प्रस्तुत नेथमवनी राजस्व आवेदन अ स्वीअर किमा
जाडर नेथमवनी कोरेा किमा जावे।

मतः प्राथी द्वारा प्रस्तुत नेथमवनी शिबेग
को स्वीअर किमा जाडर तदहीलाडा कायडु को समिमान
मिथुक्त किमा जाण है व कोरेा रिमा जाना होकि माय
स्वम या अपने अधिकार किमी भी अ समिलेयु निरिसडर
प्राथी उ प्यालेडारी खेले ही पक्के नेथमवनी मांडे पर खुड
जमाडाडर में पालना रिपोर्ट प्राप्त होत पर वामिल पत्रावली
ही पत्रावली मिलात गुमार हो, जज नवरा ले उम हो, प्राथील
इमता हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

05/07/18

पत्रावली आज पेश हुई। शर्ही वहील उपर।
तहसीलदार बायतु ले पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसे
शामिल पत्रावली किया गया। शर्ही वहील का
निवेदन किया गया कि तहसीलदार बायतु का
प्राप्त नैयमबन्दी पालना रिपोर्ट में स्वार्थी गये
बिन्दुओं को पुरखा किया जावे।

मतः शर्ही अधिकतर के निवेदन
पर तहसीलदार बायतु ले प्राप्त पालना रिपोर्ट के
संलग्न नम्बो में स्वार्थी गये बिन्दु संख्या A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R को पुरखा किया
जाय है। पत्रावली पुनः फाइल प्रस्तुत है।


सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2017/ 247

दिनांक:-27/4/2017

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भीयाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट
वगैरा 9 निवासी सियोलों की ढाणी,
सेवनियाला तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. वीरमाराम पुत्र कंवराराम वगैरा
24 निवासी सियोलों की ढाणी,
सेवनियाला तह. बायतु जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 10/17

आदेश

खसरा नं. 440/324 रकबा 121.07 बीघा मौजा सियोलों की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला भू अभिलेख वृत्त नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2017/ 248-252

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भीयाराम पुत्र अन्नाराम वगैरा 09।
4. विप्रार्थी श्री वीरमाराम पुत्र कंवराराम वगैरा 24।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु